हिरासत में रहने के दौरान अपने अधिकारों को याद रखें

इंग्लैंड और वेल्ज के कानून के अंतर्गत आपको इस नोटिस में दिए गए अधिकारों और आपराधिक कार्यवाहियों की जानकारी प्राप्त करने के अधिकार पर आधारित ईयू डायरेक्टिव 2012/13 का अनुपालन करने की गारंटी दी जाती है।

पुलिस थाने में आपके अधिकारों का संक्षिप्त विवरण इस पृष्ठ पर उल्लिखित है
अगले पृष्ठों में अनुच्छेद 1 से 11 में अधिक जानकारी दी गई है।
पूरी जानकारी पुलिस आचार संहिता सी में उपलब्ध है।

1. पुलिस को बताएं यदि आप पुलिस थाने में रहने के दौरान अपनी मदद के लिए कोई वकील चाहते हैं। यह मुफ्त है।

2. पुलिस को बताएं यदि आप किसी को सूचित करना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं। यह मुफ्त है।

3. पुलिस को बताएं यदि आप उनके नियमों को देखना चाहते हैं – उन्हें आचार संहिता कहते हैं।

4. पुलिस को बताएं यदि आपको चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है। यदि आप बीमार हैं अथवा यदि आपको चोट लगी है तो पुलिस को सूचित करें। चिकित्सीय सहायता मुफ्त है।

5. यदि आपसे किसी संदिग्ध अपराध के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका कुछ भी कहना जरूरी नहीं है। यद्यपि, यदि आप किसी चीज के बारे में पूछ ताछ के दौरान कुछ नहीं बताते हैं जिसके लिए बाद में आपको न्यायालय में सहारा लेना पड़े, तो इससे आपके बचाव में कठिनाई आ सकती है। आपके द्वारा बताई गई किसी भी बात को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है।

6. पुलिस को अवश्य ही आपको उस अपराध के बारे में सूचित करना चाहिए जिसके लिए वे आपको जिम्मेदार मानते हैं एवं साथ ही उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है और आपको क्यों हिरासत में रखा जा रहा है।

7. पुलिस को अवश्य ही आपको या आपके वकील को वह रिकॉर्ड और दस्तावेज दिखाने चाहिए जो बताते हैं कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है और क्यों हिरासत में रखा जा रहा है और जिसमें पुलिस थाने में आपके द्वारा बिताए गए समय का विवरण भी हो।

8. यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है तो पुलिस को अवश्य ही आपके लिए इसका बंदोबस्त करना चाहिए। आप कुछ विशिष्ट दस्तावेजों का अनुवाद भी करवा सकते हैं। यह मुफ्त है।

9. पुलिस को सूचित करें यदि आप ब्रिटिश नहीं हैं और आप अपने दूतावास या काउंसिलेट से संपर्क करना चाहते हैं अथवा उन्हें सूचित करना चाहते हैं कि आपको हिरासत में रखा गया है। यह मुफ्त है।

10. पुलिस को अवश्य ही आपको बताना चाहिए कि आपको वे कितने समय तक हिरासत में रख सकते हैं।

11. यदि आप पर आरोप लगाए जाते हैं और आपका मामला न्यायालय में जाता है तो आप अथवा आपके वकील को न्यायालय की सुनवाई से पहले अभियोग पक्ष के सबूत को देखने का अधिकार होगा।

यदि आप इनमें से किन्हीं भी अधिकारों के बारे में सुनिश्चित न हों तो पुलिस कस्टडी अफसर को यह बात बताएं।

पुलिस को आपके साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए और कैसे आपकी देखभाल करनी चाहिए इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संक्षिप्त जानकारी के बाद के पृष्ठ देखें।

अधिकार एवं हकों के नोटिस का यह संस्करण **21** अगस्त **2019** से प्रभावी होगा

कृपया इस जानकारी को रखें एवं जितनी जल्दी संभव हो इसे पढ़ लें। इससे आपको पुलिस थाने में रहने के दौरान निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

1. अपनी मदद करने के लिए वकील की सहायता लेना

- वकील कानूनी मामलों में आपकी सहायता कर सकता है और आपको परामर्श दे सकता है।
- वकील से बात करने का अनुरोध करने से ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ गलत किया है।
- आपको पुलिस की हिरासत में रखने वाले अफसर (पुलिस कस्टडी अफसर) को आपसे अवश्य पूछना चाहिए कि आपको कानूनी परामर्श चाहिए या नहीं। यह मुफ्त है।
- पुलिस थाने में रहने के दौरान पुलिस को आपको किसी भी समय वकील से बात करने की अनुमति देनी चाहिए, चाहे वह दिन हो या रात।
- यदि आप कानूनी परामर्श मांगते हैं तो साधारणतः वकील से बात करने से पहले पुलिस को आपसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। जब पुलिस आपको प्रश्न पूछ रही हो तो आप अनुरोध कर सकते हैं कि आपके साथ वकील भी कमरे में उपस्थित रहे।
- यदि आप पुलिस से कहते हैं कि आपको कानूनी परामर्श नहीं चाहिए परंतु बाद में आप अपना मन बदल देते हैं तो, पुलिस कस्टडी अफसर से कहें जो वकील से संपर्क करने में आपकी सहायता करेगा।
- यदि वकील न आए अथवा आपसे पुलिस थाने में संपर्क न करे, अथवा आपको दोबारा वकील से बात करने की आवश्यकता हो तो, पुलिस से कहें कि वे उनसे दोबारा संपर्क करें।

कुछ कम गंभीर मामलों के बारे में मुफ्त कानूनी परामर्श:

- कुछ कम गंभीर मामलों में, मुफ्त कानूनी परामर्श क्रिमिनल डिफेंस सर्विस (सी.डी.एस) डायरेक्ट के योग्य परामर्शदाताओं से टेलीफोन पर परामर्श प्राप्त करने तक सीमित है जब तक कि सीमित अपवाद लागू न हों जब वकील को पुलिस थाने आना चाहिए, जैसे कि:
  - ~ पुलिस आपसे किसी अपराध के बारे में प्रश्न पूछना चाहती है अथवा चश्मदीद गवाह द्वारा पहचान करवाने की प्रक्रिया कार्यान्वित करना चाहती है।
  - ~ आपको किसी "काबिल प्रौढ़ व्यक्ति" की मदद की जरूरत है। "जिन लोगों को सहायता की जरूरत है" नामक भाग देखें।
  - ~ आप टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते हैं, अथवा
  - ~ आपने आरोप लगाया है कि पुलिस ने गंभीर दुर्व्यवहार किया है।

जब मुफ्त परामर्श केवल टेलीफोन पर सीडीएस डायरेक्ट से मिलने वाले परामर्श तक सीमित न हो:

- आप अपने परिचित वकील से बात करने का अनुरोध कर सकते हैं और यदि वे कानूनी सहायता (लीगल एड) का काम करते हैं तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यदि आप किसी वकील को नहीं जानते हैं अथवा आपके परिचित वकील से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप ड्यूटी वकील से बात कर सकते हैं। यह मुफ्त है।

- ड्यूटी वकील का पुलिस के साथ कोई लेना देना नहीं होता है।

मुफ्त कानूनी परामर्श का बंदोबस्त करने के लिए:

- पुलिस, डिफेंस सॉलिसिटर कॉल सेंटर (डी.एस.सी.सी) से संपर्क करेगी। डी.एस.सी.सी आपके लिए सी.डी.एस. डायरेक्ट से, या आपके द्वारा अनुरोध किए गए वकील से या ड्यूटी वकील से कानूनी सलाह देने का प्रबंध करेगा।

- डी.एस.सी.सी और सी.डी.एस दोनों स्वाधीन सेवाएं हैं जिन पर मुफ्त कानूनी परामर्श का प्रबंध करने का दायित्व है और इनका पुलिस के साथ कोई लेना देना नहीं है।

यदि आप स्वयं कानूनी परामर्श के लिए भुगतान करना चाहते हैं:

- यदि आप चाहें तो सभी मामलों में अपने लिए कानूनी परामर्श के लिए भुगतान कर सकते हैं।
- जब मुफ्त कानूनी परामर्श सी.डी.एस डायरेक्ट से मिलने वाली टेलीफोन परामर्श तक सीमित हो तब यदि आप चाहें तो अपने पसन्दीदा वकील से बात कर सकते हैं परंतु लीगल एड (कानूनी सहायता) इसके पैसे नहीं देगा और शायद आपसे भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। डी.एस.सी.सी आपकी ओर से आपके वकील से संपर्क करेगा।

- आपके पास यह अधिकार है कि आप टेलीफोन पर अपने पसन्दीदा वकील के साथ प्राइवेट रूप से बात कर सकते हैं अथवा वे पुलिस थाने में आ कर आपसे मिलने का निर्णय ले सकते हैं।

- यदि आपके पसन्दीदा वकील से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो, पुलिस ड्यूटी वकील से मुफ्त कानूनी परामर्श का प्रबंध करने के लिए डी.एस.सी.सी से बोल सकती है।

2. किसी को बताना कि आप पुलिस थाने में हैं

- आप पुलिस से किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने के लिए कह सकते हैं जिसे यह जानना जरूरी है कि आप पुलिस थाने में हैं। यह मुफ्त है।
- जितनी जल्दी संभव हो वे आपके लिए किसी से संपर्क करेंगे।

3. आचार संहिता देखना

- आचार संहिता ऐसे नियम हैं जो आपको बताते हैं कि आपके पुलिस थाने में रहने के दौरान पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। उनमें इस नोटिस में संक्षेप में दिए गए अधिकारों का ब्यौरा शामिल होता है।
- पुलिस आपको आचार संहिता पढ़ने देगी परंतु आप ऐसा नहीं कर सकेंगे यदि पुलिस को जानने में देरी हो कि आपने कानून तोड़ा है या नहीं।
- यदि आप आचार संहिता पढ़ना चाहते हैं तो, पुलिस कस्टडी अफसर को यह बात बताएं।

4. यदि आप अस्वस्थ हैं या आपको चोट लगी है तो चिकित्सीय सहायता प्राप्त करना

- यदि आप बीमार हैं अथवा आपको औषधि की आवश्यकता है या चोट लगी है तो पुलिस को बताएं। वे किसी डॉक्टर अथवा नर्स या किसी और स्वास्थ्यसेवा पेशेवर को बुलाएंगे और यह मुफ्त है।

- आपको अपनी औषधि लेने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु पुलिस को पहले उसकी जांच करनी होगी। सामान्यतः पहले एक नर्स आपकी जांच करेगी परंतु यदि आपको आवश्यकता हो तो पुलिस आपके लिए डॉक्टर भी बुलाएगी। आप किसी दूसरे डॉक्टर से मिलने का अनुरोध कर सकते हैं परंतु आपको इसके लिए पैसे देने पड़ सकते हैं।

5. चुप रहने का अधिकार

यदि आपको किसी संदिग्ध अपराध के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका कुछ भी कहना जरूरी नहीं है।

यद्यपि, यदि आप किसी चीज के बारे में पूछताछ के दौरान कुछ नहीं बताते हैं जिसके लिए बाद में आपको न्यायालय में सहारा लेना पड़े, तो इससे आपके बचाव में कठिनाई आ सकती है।

आपके द्वारा कही गई किसी भी चीज को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है।

6. उस अपराध के बारे में जानना जिसके लिए आप पर दोषी होने का संदेह है और जानना कि आपको क्यों गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया है

- पुलिस को अवश्य ही आपको उस अपराध के बारे में बताना चाहिए जिसके लिए वे आपको दोषी मानते हैं। इसमें यह भी बताना शामिल है कि उनके अनुसार यह अपराध कब और कहाँ किया गया था।

- पुलिस को आपको यह भी बताना चाहिए कि उनके मतानुसार उन्हें क्यों लगता है कि आपने वह अपराध किया है और क्यों उन्हें आपको गिरफ्तार करने की आवश्यकता है।

- पुलिस थाने में, पुलिस को अवश्य ही आपको बताना चाहिए कि उनका यह क्यों मानना है कि आपको हिरासत में रखा जाना चाहिए।

- पुलिस के अनुसार जो अपराध आपने किया है उसके बारे में प्रश्न पूछने से पहले पुलिस को अवश्य ही आपको और आपके वकील को पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए जिससे कि आप अपना बचाव कर सकें, परंतु यह किसी ऐसे समय में नहीं बताया जा सकता है जब पुलिस की जांच पड़ताल में कोई बाधा आए।

- यह ऐसे किन्हीं भी अन्य अपराधों पर भी लागू होता है जिसके लिए पुलिस आपको दोषी मानती है।

7. आपकी गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज देखना

- जब आपको पुलिस थाने में हिरासत में रखा जाए तो पुलिस को:

  ~ आपके कस्टडी रिकॉर्ड (हिरासत के दौरान रखा रिकॉर्ड) में आपको गिरफ्तार करने के कारण और उसकी आवश्यकता को दर्ज करना चाहिए और साथ ही यह भी बताना चाहिए कि उनके मतानुसार आपको क्यों हिरासत में रखा जाना चाहिए।

  ~ आपको और आपके वकील को इन रिकॉर्ड को देखने की अनुमति दी जानी चाहिए। पुलिस कस्टडी अफसर इसका बंदोबस्त करेंगे।

- यह उन सभी अन्य अपराधों पर भी लागू होता है जिनके लिए पुलिस आपको दोषी मानती है।

- पुलिस को आपको और आपके वकील को उन दस्तावेजों और तथ्यों को जानने की अनुमति देनी चाहिए जिनके आधार पर प्रभावशाली रूप से आपकी गिरफ्तारी और हिरासत में रखने के कारण की वैधता का विरोध किया जा सके।

8. आपकी मदद करने के लिए दुभाषिया बुलाना और कुछ विशिष्ट दस्तावेजों का अनुवाद प्राप्त करना

- यदि आप अंग्रेजी बोलते अथवा समझते नहीं हैं, तो पुलिस आपकी मदद करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का प्रबंध करेगी जो आपकी भाषा बोलता/बोलती है। यह मुफ्त है।
- यदि आप बधिर हैं अथवा आपको बोलने में कठिनाई होती है तो आपकी मदद करने के लिए पुलिस एक ब्रिटिश साइन लैंगुएज अंग्रेजी दुभाषिये का प्रबंध करेगी। यह मुफ्त है।
- यदि आप अंग्रेजी बोलते या समझते नहीं हैं, तो पुलिस आपको हिरासत में रखे जाने के कारण और आप पर लगाए गए दोषारोपों के बारे में आपको सूचित करने के लिए दुभाषिए की व्यवस्था करेगी। हर बार आपको हिरासत में रखने का निर्णय लेते समय पुलिस को यह करना चाहिए।
- आपको हिरासत में रखने के प्रत्येक निर्णय के बाद और आप पर किसी अपराध का आरोप लगाए जाने के पश्चात पुलिस को आपको आपकी भाषा में एक रिकॉर्ड प्रदान करना चाहिए जो आपको बताएगा कि आपको हिरासत में क्यों रखा जा रहा है और आप पर किन अपराधों का आरोप लगाया गया है, जब तक कि ऐसा नहीं करने का कोई विशेष कारण न हो। ये कारण निम्नलिखित हैं:

  ~ यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि अपने बचाव का पक्ष सामने रखने के लिए आपको रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पूरी तरह से समझ पा रहे/रही हैं कि क्या हो रहा है और रिकॉर्ड प्राप्त करने के अपने अधिकार को त्यागने के परिणामों से भी आप अवगत हैं और निर्णय लेने में मदद करने के लिए एक वकील की सहायता लेने का आपके पास मौका है। आपको अपनी लिखित सहमति भी देनी होगी।

  ~ यदि अपने बचाव का पक्ष सामने रखने के लिए और क्या हो रहा है उसे समझने के लिए एक लिखित अनुवाद के बदले दुभाषिए द्वारा प्रदान किया गया मौखिक अनुवाद अथवा संक्षिप्त जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। कस्टडी के अफसर को भी इस बात को अधिकृत करना चाहिए।

- जब पुलिस आपसे प्रश्न पूछेगी और ऑडियो रिकार्डिंग नहीं करती है तो वह दुभाषिया आपकी अपनी भाषा में प्रश्नों और आपके उत्तरों को दर्ज करेगा। सटीक रिकॉर्ड मान कर उस पर हस्ताक्षर करने से पहले आप उसे जांच सकते हैं।
- यदि आप पुलिस को कोई बयान देना चाहते हैं तो दुभाषिया आपकी भाषा में उसकी एक प्रति बनाएगा जिससे कि आप उसकी जांच कर सकें और सही मान कर उस पर हस्ताक्षर कर सकें।
- आपके पास इस नोटिस का अनुवाद प्राप्त करने का अधिकार भी है। यदि कोई अनुवाद उपलब्ध न हो तो आपको एक दुभाषिए के माध्यम से जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और बिना किसी अनुचित विलंब के आपको एक अनुवाद भी प्रदान किया जाना चाहिए।

9. अपने दूतावास अथवा कॉन्सुलेट से संपर्क करना

यदि आप ब्रिटिश नहीं हैं, तो आप पुलिस से कह सकते हैं कि आप अपने हाइ कमीशन, दूतावास अथवा कॉन्सुलेट से संपर्क कर के उन्हें बताना चाहते हैं कि आप कहां हैं और पुलिस थाने में क्यों हैं। वे आपसे निजी तौर पर आ कर मिल सकते हैं अथवा आपसे मिलने के लिए किसी वकील का प्रबंध कर सकते हैं।

10. आपको कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है

- साधारणतः बिना कोई आरोप लगाए आपको 24 घंटों तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह तभी अधिक लंबा हो सकता है जब किसी क्राउन कोर्ट में एक न्यायाधीश और निर्णायक समिति के सामने इस अपराध की सुनवाई हो सकती हो और पुलिस सुपरिन्टेंडेंट या न्यायालाय इसके लिए अनुमति दे। 36 घंटों के बाद, केवल न्यायालय ही पुलिस को अनुमति दे सकता है कि वह बिना किसी दोषारोपण के आपको हिरासत में रखे।

- प्रायः किसी वरिष्ठ पुलिस अफसर को आपके मामले को अवश्य ही देख कर तय करना होता है कि आपको पुलिस थाने में अधिक समय के लिए रखा जाना चाहिए या नहीं। इसे रिव्यू (पुनरीक्षण)कहते हैं और इस व्यक्ति को रिव्यू अफसर के नाम से संबोधित किया जाता है। जब तक आप ठीक हालत में नहीं हैं, आपके पास यह अधिकार है कि आप इस निर्णय के बारे में अपनी राय बताएं, या लिखित रूप से या स्वयं रिव्यू अफसर को बताएं या टेलीविजन लिंक के माध्यम से। आपके वकील के पास भी यह अधिकार है कि वे आपकी ओर से इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करे सकते हैं।

- यदि रिव्यू अफसर (पुनरीक्षण के अफसर) आपको रिहा नहीं करते हैं तो उन्हें आपको उसका कारण बताना चाहिए और आपके कस्टडी रिकॉर्ड में उस कारण को दर्ज करना चाहिए।

- यदि आपको हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है, तो आपको अवश्य ही रिहा कर दिया जाना चाहिए। यदि पुलिस आपको यह बात बताए कि वे उस अपराध की जाँच पड़ताल जारी रखना चाहती है तो आपको जमानत पर या जमानत के बिना रिहा किया जाएगा। अगर आपको जमानत पर रिहा किया जाए तो आपको अवश्य ही एक लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए जो आपको बताएगा कि आपको पुलिस थाने वापस आना होगा और साथ ही आपकी जमानत पर लागू होने वाली अन्य शर्तों के बारे में भी आपको सूचित किया जाना चाहिए।

- जब पुलिस न्यायालय से आपको हिरासत में रखने की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध करना चाहती है:

  ~ अगर टेलीविजन लिंक का बंदोबस्त न किया गया हो जिसमें आप अदालत में उपस्थित लोगों को देख और सुन सकें और वे आपको देख और सुन सकें तो आपको सुनवाई के लिए अवश्य ही न्यायालय में लाया जाना चाहिए।

  ~ टेलिविजन लिंक का बंदोबस्त तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कस्टडी अफसर को ना लगे कि ऐसा करना उचित है, एक वकील ने आपको उसके उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान की है और इसकी व्यवस्था करने के लिए आपने अपनी सहमति व्यक्त की है।

  ~ आपको उस जानकारी की एक प्रति दी जानी चाहिए जो न्यायालय को सबूत के बारे में बताती है और साथ ही यह भी बताती है कि पुलिस आपको क्यों हिरासत में रखना चाहती है।

  ~ आपके पास यह अधिकार है कि न्यायालय की सुनवाई के दौरान आपके साथ एक वकील उपस्थित हो।

  ~ पुलिस को केवल तब ही आपको हिरासत में रखने की अनुमति दी जाएगी जब न्यायालय यह मानता हो कि यह आवश्यक है और साथ ही पुलिस ध्यानपूर्वक एवं बिना कोई समय नष्ट किए आपके मामले की जाँच पड़ताल कर रही है।

- यदि आपको न्यायालय में भेजने के लिए पुलिस के पास यथेष्ट सबूत हैं तो आप पर पुलिस थाने में या डाक के द्वारा दोषारोपण किया जा सकता है और आपको सुनवाई के लिए न्यायालय में उपस्थित होने को कहा जा सकता है।

11. आपका मामला न्यायालय में जाने पर सबूत तक पहुंच

- यदि आप पर किसी अपराध का दोष लगाया जाता है तो आपको और आपके वकील को आपके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए किसी भी सबूत के साथ-साथ ऐसे सबूत को देखने की अनुमति मिलनी चाहिए जो संभवतः आपके बचाव में सहायक हो सके। मुकद्दमा शुरू होने से पहले यह काम किया जाना चाहिए। पुलिस और क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस को आवश्यक रूप से इसका बंदोबस्त करना होगा और साथ ही उन्हें उचित दस्तावेजों और तथ्यों तक पहुँच भी प्रदान करनी होगी।

पुलिस थाने में रहने से संबंधित जिन अन्य चीजों का ज्ञान होना चाहिए

आपके साथ किस प्रकार का बर्ताव और कैसी देखभाल की जानी चाहिए

यह टिप्पणियां आपको बताती हैं कि पुलिस थाने में रखे जाने के दौरान आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अधिक जानने के लिए, कार्यप्रणाली की आचार संहिता देखने का अनुरोध करें। उसमें एक सूची शामिल की गई है जो बताती है कि इन में से प्रत्येक के बारे में आपको अधिक जानकारी कहां से मिल सकती है। यदि आपके कोई भी प्रश्न हों तो पुलिस कस्टडी अफसर से पूछें।

जिन लोगों को सहायता की जरूरत है

- यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है अथवा आप संवेदनशील हैं, उदाहरणार्थ, यदि आपको सीखने में कठिनाई होती हैं अथवा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो फिर आपके पास यह अधिकार है कि पुलिस द्वारा कुछ विशिष्ट कार्य किए जाने के दौरान आप अपने साथ किसी को रख सकते हैं। इस व्यक्ति को आपका "काबिल प्रौढ़ व्यक्ति" कहा जाता है और उन्हें इस नोटिस की एक प्रति दी जाएगी।
- आपका काबिल प्रौढ़ व्यक्ति आपकी यह समझने में मदद करेगा/गी कि क्या हो रहा है और वे आपके हितों का भी ध्यान रखेंगे/गीं। जब पुलिस आपको आपके अधिकार और आपको पुलिस थाने में रखे जाने का कारण बताती है तो आपके साथ ऐसे व्यक्ति का होना अनिवार्य है। जब पुलिस आपको पुलिस की सतर्कता को पढ़ कर सुनाए तब भी उस व्यक्ति को आपके साथ रहना चाहिए।
- आपका काबिल प्रौढ़ व्यक्ति आपकी ओर से वकील के लिए अनुरोध कर सकता/सकती है।
- यदि आप चाहें तो अपने काबिल प्रौढ़ व्यक्ति की अनुपस्थिति में एक कमरे में अलग से अपने वकील से बात कर सकते हैं।
- पुलिस थाने में रहने के दौरान पुलिस निम्नलिखित सूचीबद्ध कार्यों में से कुछ को कर सकती है। जब तक कि कोई विशेष कारण न हो, यदि पुलिस निम्नलिखित चीजों में से कुछ करे तो उस पूरे समय के दौरान आपके काबिल प्रौढ़ व्यक्ति को वहां उपस्थित रहना चाहिए:
  - ~ आपका साक्षात्कार लेने अथवा आपसे किसी लिखित बयान अथवा पुलिस की टिप्पणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहने के दौरान।
  - ~ आपकी तलाशी लेने के लिए आपके बाहरी कपड़ों से अधिक को हटाने के दौरान।
  - ~ आपकी उंगलियों के निशान,फोटोग्राफ, अथवा डीएनए या कोई अन्य नमूना लेते समय।
  - ~ चश्मदीद गवाह द्वारा पहचान करवाने की प्रक्रिया से संबंधित कोई कार्य करने के दौरान।
- जब पुलिस आपको अधिक समय तक हिरासत में रखने या नहीं रखने के संबंध में आपके मामले का पुनरीक्षण कर रही हो तो आपकी मदद करने के लिए आपके काबिल प्रौढ़ व्यक्ति को वहां स्वयं अथवा फोन पर उपस्थित रहने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए।
- यदि आपका काबिल प्रौढ़ व्यक्ति उपलब्ध है, तो पुलिस द्वारा आप पर किसी अपराध का आरोप लगाए जाने के समय उन्हें वहाँ उपस्थित रहना चाहिए।

पुलिस थाने में अपने व्यतीत किए गए समय का विवरण प्राप्त करना

- पुलिस थाने में रहने के दौरान आपके साथ जो होता है उस सब को रिकॉर्ड किया जाता है। इसे कस्टडी रिकॉर्ड कहते हैं।
- जब आप पुलिस थाने से जाते हैं तो आप, आपका वकील अथवा आपका काबिल प्रौढ़ व्यक्ति, कस्टडी रिकॉर्ड की एक प्रति मांग सकता है। जितनी जल्दी संभव हो पुलिस को आपको आपके कस्टडी रिकॉर्ड की एक प्रति देनी चाहिए।
- पुलिस थाने से जाने के 12 महीनों बाद तक आप पुलिस से अपने कस्टडी रिकॉर्ड की प्रति मांग सकते हैं।

संपर्क में रहना

- किसी वकील से बात करने और किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताने के साथ-साथ आपको साधारणतः एक फोन कॉल करने की अनुमति दी जाएगी।
- यदि आप एक फोन कॉल करना चाहते हैं तो पुलिस से पूछें।
- आप कागज और कलम भी मांग सकते हैं।
- आपसे मुलाकाती भी मिलने आ सकते हैं परंतु कस्टडी अफसर इसकी अनुमति नहीं भी दे सकता है।

आपकी कोठरी

- यदि संभव हो तो आपको अपने आप एक कोठरी में रखा जाना चाहिए।
- वह साफ, गर्म होनी चाहिए और उसमें रोशनी होनी चाहिए।
- आपका बिस्तरा साफ और अच्छी अवस्था में होना चाहिए।
- आपको शौचालय का प्रयोग करने और नहाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

Personal needs – health, hygiene and welfare

- आपको अवश्य ही यह पूछा जाना चाहिए कि क्या आप कस्टडी स्टाफ के किसी सदस्य के साथ अकेले में अपने स्वास्थ्य, स्वच्छता और कल्याण से संबंधित किन्हीं भी ऐसी निजी जरूरतों के बारे में बात करना चाहेंगे/गीं जो हिरासत में रहने के दौरान आपको प्रभावित कर सकती हैं या जिनके बारे में आपको चिंता हो सकती है।
- आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस जरूरी समझे जाने वाली चीजों को प्रदान करने का प्रबंध करेगी। अगर आप चाहें तो आपसे बात करने वाला व्यक्ति आपका सहलिंगी हो सकता है।
- अगर आप 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला हैं तो आपको अवश्य ही यह पूछा जाना चाहिए कि हिरासत में रहने के दौरान क्या आपको किसी भी माहवारी सामग्री की जरूरत है या संभवतः जरूरत हो सकती है और साथ ही आपको अवश्य ही यह भी बताया जाना चाहिए कि:
  ~ सामग्री आपको मुफ्त में दी जाएगी ;

~ प्रतिस्थापित सामग्री उपलब्ध है; तथा

~ यदि कस्टडी अफसर सहमत हों तो यह सामग्री आपके परिवार या दोस्तों के द्वारा भी उनके अपने खर्चे पर उपलब्ध करवाई जा सकती है।

- अगर आप 18 वर्ष से कम आयु की लड़की हैं तो कस्टडी अफसर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी देखभाल करने के लिए और आपको अपनी निजी जरूरतों और माहवारी सामग्री संबंधी आवश्यकताओं के बारे में पूछने के लिए पुलिस थाने में एक महिला उपस्थित हों।

कपड़े

- यदि आपके अपने कपड़े आपसे ले लिए जाते हैं तो पुलिस को आपको वैकल्पिक कपड़े प्रदान करने चाहिए।

खाना और पीना

- आपको दिन में 3 भोजन और पेय पदार्थ प्रदान किए जाने चाहिए। आप भोजनों के बीच पेय पदार्थ भी ले सकते हैं।

व्यायाम

- यदि संभव हो तो आपको प्रतिदिन ताजी हवा के लिए बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जब पुलिस आपसे प्रश्न पूछे

- कमरा साफ, गर्म होना चाहिए और उसमें रोशनी होनी चाहिए।
- आपको खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
- पुलिस अफसरों को आपको अपना नाम और ओहदा बताना चाहिए।
- आपको साधारण भोजन के समय में थोड़ा अवकाश मिलना चाहिए और लगभग दो घंटों के बाद पेय पदार्थ पीने के लिए अवकाश का समय मिलना चाहिए।
- हिरासत में रहने के प्रत्येक 24 घंटों में आपको कम से कम 8 घंटों का आराम मिलना चाहिए।

धार्मिक आवश्यकताएं

थाने में रहने के समय यदि अपने धर्म का पालन करने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो पुलिस को सूचित करें। वे आवश्यकतानुसार धार्मिक किताबें एवं अन्य सामान प्रदान कर सकते हैं।

सामान्य नियम भिन्न होने वाली परिस्थितियां

अपनी मदद करने के लिए वकील लेना

ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब अपने वकील से बात करने से पहले पुलिस को आपके साथ तुरंत बात करने की आवश्यकता होती है। इन विशेष परिस्थितियों की जानकारी, कार्यप्रणाली की आचार संहिता में उल्लिखित हैं। यह वह पुस्तक है जो बताती है कि पुलिस थाने में रहने के दौरान पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। यदि आप इस विस्तृत विवरण को देखना चाहते हैं तो वे सभी कार्यप्रणाली की आचार संहिता के पैराग्राफ 6.6 में उल्लिखित हैं।

ऐसी एक विशेष परिस्थिति है जब पुलिस आपको आपके द्वारा चुने वकील से बात नहीं करने देगी। यदि ऐसा हो तो आपको एक दूसरे वकील को चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि आप यह विस्तृत विवरण देखना चाहते हैं तो ये सभी कार्यप्रणाली की आचार संहिता के कोड सी के परिशिष्ट बी में उल्लिखित हैं।

किसी को बताना कि आप पुलिस थाने में हैं

ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब पुलिस आपको किसी से संपर्क नहीं करने देगी। इन विशेष परिस्थितियों की जानकारी कार्यप्रणाली की आचार संहिता में दी गई है। यदि आप यह विस्तृत विवरण देखना चाहते हैं तो वह कार्यप्रणाली की आचार संहिता के कोड सी के परिशिष्ट बी में उल्लिखित है।

शराब के नशे में या नशीले पदार्थों के नशे में गाड़ी चलाने के अपराध

यदि आपको शराब के नशे में या नशीले पदार्थों के नशे में गाड़ी चलाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो आपके पास अपने वकील से बात करने का अधिकार है। इस अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि आप पुलिस को श्वास, रक्त अथवा पेशाब का नमूना देने से मना करें, चाहे आपने तब तक अपने वकील से बात न की हो।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1983 के अंतर्गत आपको हिरासत में रखना

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत आंकलन करने के लिए भी पुलिस आपको हिरासत में रख सकती है। यदि आपकी आयु 18 या उससे अधिक है या चूंकि इस बात का जोखिम है कि आपके व्यवहार के कारण आपको या दूसरों को गंभीर रूप से चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है तो उचित रूप से यह प्रत्याशित नहीं किया जा सकता है कि आपको कहीं और हिरासत में रखा जा सकता है।

इसका यह मतलब है कि आंकलन करने के लिए पुलिस किसी डॉक्टर या अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर का प्रबंध करेगी जो आपसे आ कर मिलेंगे। पुलिस थाने में आने के पश्चात या आपको हिरासत में लिए जाने के 24 घंटों के भीतर आपका आंकलन किया जाना चाहिए परंतु जितनी जल्दी संभव हो पुलिस इसका प्रबंध करेगी। पुलिस थाने में, आंकलन के लिए आपकी 24 घंटे की अवधि को और 12 घंटों के समय के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर कोई डॉक्टर इसे जरूरी समझे और एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अफसर इस बात को अनुमोदित करे। इस समय के दौरान पुलिस शायद आपको एक अधिक उचित स्थान पर भेज सकती है जिससे कि आंकलन करने में सहूलियत हो।

आंकलन किए जाने की प्रतीक्षा करने के दौरान पुलिस किसी अनुमोदित स्वास्थ्यसेवा पेशेवर का प्रबंध कर सकती है जो आपसे आ कर मिल सकता है। वे आंकलन नहीं कर सकेंगे, परंतु आपकी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में आपकी सहायता कर सकते हैं और वे आपको समझा सकते हैं कि आंकलन का क्या अर्थ है।

स्वतंत्र कस्टडी मुलाकाती

समुदाय के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो बिना बताए पुलिस थाने में आ सकते हैं। इन्हें स्वतंत्र कस्टडी मुलाकाती कहते हैं वे स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हिरासत में रखे गए लोगों के साथ ठीक से बर्ताव किया जा रहा है और उन्हें उनके अधिकार मिल रहे हैं।

आपके पास स्वतंत्र कस्टडी मुलाकाती से मिलने का अधिकार नहीं है और आप अनुरोध नहीं कर सकते हैं कि कोई स्वतंत्र कस्टडी मुलाकाती आप से आकर मिले पर वे स्वयं आपसे मिलने की इच्छा प्रकट कर सकते हैं। आपके हिरासत में रहने के दौरान यदि कोई स्वतंत्र कस्टडी मुलाकाती आता है तो वे आपके कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा की जांच करने के लिए पुलिस से स्वतंत्र हैं। यद्यपि, यदि आप नहीं चाहते हैं, तो आपको उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

किस प्रकार शिकायत करें

यदि आपसे किए गए बर्ताव के बारे में आप शिकायत करना चाहते हैं तो किसी ऐसे पुलिस अफसर से बात करने का अनुरोध करें जो इंस्पेक्टर या उससे ऊंचे ओहदे का है। रिहा किए जाने के पश्चात आप किसी भी पुलिस थाने, इंडिपेंडंट ऑफिस फ़ॉर पुलिस कनडक्ट (आइओपीसी) पुलिस कम्प्लेंट्स कमीशन (आइ.पी.सी.सी) अथवा आपकी ओर से किसी वकील या एम.पी द्वारा शिकायत कर सकते हैं।